1953

0/G-

प्रेषक,

संजय कुमार यादव– (प्रथम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश–गैंगेस्टर एक्ट,
कक्ष संख्या–4, अलीगढ

सेवा में,

श्री राजीव भारती – (एच.जे.एस.)
मा0 महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, अलीगढ

विषय– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 दिनांकित–28.06.2024 व अनुवर्ती शासनादेश संख्या–20/2024/Sa-3-276/ X-2024/301 (1) /2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का चुनाव किये जाने के विकल्प के संदर्भ में –

महोदय,

सविनय निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्रांक–9691/IV-F-82 (Pension)/Admin.A दिनांकित–16.07.2024 के अनुक्रम में सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या–Sa-3-379/X-2005-301 (9)–2003 दिनां–कित 28.03.2005 के पूर्व, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–ए–2/ई–1/2003 (रोजगार समाचार 22–28 नवम्बर 2003) के आधार पर प्रार्थी का चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा–सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर हुआ था। जिसके अनुक्रम से प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2006 को अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रतापगढ का पदभार ग्रहण किया गया था। जिसके उपरांत से प्रार्थी निरंतर न्यायिक सेवा में कार्यरत है।

प्रार्थी दिनांक 15.06.2006 से लगातार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित रहा, जबकि प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होना चाहता है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में प्रार्थी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का चुनाव कर रहा है।

विकल्प, माननीय महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,

Office of the District Judge, Aligarh
No. 1953 /XV-Civil :Dated 24.7.24
FORWARDED
District Judge
Aligarh
24.07.2024

Sanjay Kumar Yadav 24/07/2024
(संजय कुमार यादव–प्रथम)

दिनांक–24.07.2024

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश–गैंगेस्टर एक्ट,
कक्ष संख्या–4, अलीगढ
H.C.Id. No. UP06339
Personal file No. IV–3317/Admin. A

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-IV
गैंगेस्टर अलीगढ